क्रम-संख्या–221

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

अग्रहायण 29, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग–3

संख्या 3277 / सत्तर-3–2024-04(25)-2023

लखनऊ, 20 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

सा0प0नि0–33

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2023) की धारा 27 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :–

उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली, 2024 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2– जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में:–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2023) से है;

(ख) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(ग) किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'प्रबन्धतन्त्र' का तात्पर्य ऐसी प्रबन्धक समिति से या महाविद्यालय के कार्यों का प्रबन्ध तथा संचालन करने की शक्तियों से युक्त किसी व्यक्ति या प्राधिकारी से है;

(घ) "अध्यापक" का तात्पर्य किसी महाविद्यालय में अनुदेश प्रदान करने के लिए, अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति, जिसमें प्रधानाचार्य सम्मिलित है, से है;

अध्यापकों के स्थानान्तरण हेतु शर्तें

3—(1) नियमित आधार पर नियुक्त और स्थायी अध्यापकों के रूप में धारणाधिकार रखने वाले अध्यापक, 03 वर्षों की सेवा के पश्चात् सम्पूर्ण सेवा अवधि में केवल एक बार स्थानान्तरण के लिए हकदार होंगे।

(2) स्थानान्तरित अध्यापक उस महाविद्यालय का कर्मचारी होगा जिसमें उसका स्थानान्तरण किया गया हो और उसकी सेवा शर्तें सम्बन्धित विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा शासित होंगी।

(3) उक्त अध्यापक का वेतन संरक्षण अनुमन्य होगा किन्तु नये नियोक्ता की सेवा नियमावली ऐसे अध्यापक के लिए लागू होगी।

(4) स्थानान्तरित अध्यापक, सम्बन्धित महाविद्यालय में अपने कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कार्यरत अपने संवर्ग का कनिष्ठतम अध्यापक होगा। स्थानान्तरण के पश्चात् यदि दो अध्यापक एक ही दिनांक को कार्यभार ग्रहण करते हैं तो उनमें से ज्येष्ठ जन्मतिथि वाला अध्यापक ज्येष्ठ होगा।

(5) अध्यापकों का स्थानान्तरण ऐसे पदों के सापेक्ष किया जायेगा जिनके लिए वेतन, वेतन संदाय लेखा से संदत्त किया जाता है। महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र, किसी अध्यापक को अपनी सहमति देने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि कोई जाँच या कार्यवाही सम्बन्धित अध्यापक के विरूद्ध लम्बित न हो और उस पद, जिस पर उसे स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किये जाने हेतु विचार किया गया हो, का विज्ञापन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा न किया गया हो।

(6) एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में एकल/पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण आवेदन पत्र, विधि सम्मत रूप से गठित एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रबन्धतन्त्र के माध्यम से दोनों प्रबन्धतन्त्रों की लिखित सहमति सहित निदेशक, उच्च शिक्षा को प्रस्तुत किया जायेगा। निदेशक, उच्च शिक्षा आवेदन-पत्र प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर अपनी सिफारिश सरकार को प्रस्तुत करेगा। सरकार, निदेशक, उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर या अपने स्वयं के आधार पर विनिश्चय करेगी।

(7) ऐसे स्थानान्तरणों के विरूद्ध अध्यापकों को कोई यात्रा भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।

(8) पूर्ववर्ती संस्था का प्रबन्धक, यथास्थिति, जिला विद्यालय निरीक्षक/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उसकी सेवा पुस्तिका, चरित्र पंजिका, अवकाश लेखा, सामान्य भविष्य निधि, सामूहिक बीमा लेखा और अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेगा।

(9) अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के लिए आरक्षण व्यवस्था बनाये रखने हेतु एक अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में एकल स्थानान्तरण हेतु अध्यापक जिस श्रेणी का होगा, उसका स्थानान्तरण उसी श्रेणी के अधीन रिक्त पदों पर किया जायेगा।

(10) नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों हेतु संबंधित अध्यापक अपना प्रार्थना—पत्र संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/डी0डी0ओ0, जो वर्तमान सेवा के महाविद्यालय पर अधिकारिता का प्रयोग करता हो, को प्रस्तुत करेगा। प्रारम्भकर्ता क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/डी0डी0ओ0, प्रान (पी0आर0ए0एन0) संख्या सहित निधियों का अन्तरण हेतु अपनी यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड से मेकर चेकर सिस्टम के माध्यम सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/डी0डी0ओ0 को अनुरोध (रिक्वेस्ट) भेजेगा जिसकी अधिकारिता के अधीन अनुरोधित महाविद्यालय (महाविद्यालय जिसमें स्थानान्तरण चाहा गया हो) आता हो। महाविद्यालय जिसमें स्थानान्तरण चाहा गया हो, पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/डी0डी0ओ0 द्वारा अनुरोध स्वीकार किये जाने के पश्चात धनराशि सहित प्रान (पी0आर0ए0एन0) संख्या अन्तरित हो जायेगी।

आज्ञा से,
एम0पी0अग्रवाल,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3277/LXX-3–2024-04(25)-2023, Dated December 20, 2024 :

No. 3277/LXX-3–2024-04(25)-2023

Dated Lucknow, December 20, 2024

In exercise of the powers under section 27 of the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Act. 2023 (U.P. Act no. 15 of 2023), the Governor is pleased to make the following rules, namely:-

THE UTTAR PRADESH AIDED COLLEGES TRANSFER OF TEACHERS RULES, 2024

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Aided Colleges Transfer of Teachers Rules, 2024.

(2) They shall come into force at once.

Definitions

2. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context ,—

(a) "Act" means the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Act, 2023 (U.P. Act no. 15 of 2023);

(b) "Government" means the Government of Uttar Pradesh;

(c) "Management" in relation to a college means the Committee of management or person or authority vested with the power to manage and conduct the affairs of the collage;

(d) "Teacher" means a person appointed under the provisions of the Act for imparting instructions in a college and includes a Principal.

Conditions for Transfer of Teachers

3. (1) Teachers appointed on regular basis and holding lien as permanent teachers shall be entitled to transfer after 03 years of service only once in the whole service period.

(2) The transferred teacher shall become the employee of the College to which he has been transferred and his service conditions shall be governed by the Statutes of the University concerned.

(3) The protection of salary of the teacher shall be admissible but the service rules of the new employer shall be applicable to such teacher.

(4) The transferred teacher shall be the junior most teacher of his cadre working on the date of his joining in the College concerned. If two teachers join a college on the same date after transfer, then the teacher with the senior date of birth will be the senior among them.

(5) The teacher shall be transferred against such posts for which salary is paid from the salary payment account. The management of the College, before giving its consent to any teacher, shall ensure that no enquiry or any proceeding is pending against the teacher concerned and the post to which he has been considered to be appointed by transfer has not been advertised by Uttar Pradesh Education Service Selection Commission.

(6) The transfer application for single/mutual transfers from one College to the other shall be submitted to the Director, Higher Education through the Management legally constituted and approved by the University along with the written consent of the management of both the colleges. The Director, Higher Education shall submit this recommendation to the Government within one month from the date of receipt of the application. The Government shall take decision either on the basis of recommendation of the Director, Higher Education or on its own.

(7) No travel allowance shall be admissible to the teachers against such transfers.

(8) The Manager of the former institution shall send in Service Book, Character Rolls, Leave Account, G.P.F, Group Insurance Account and last pay certificate counter-signed by the District Inspector of Schools/Regional Higher Education Officer, as the case may be, to the Regional Higher Education Officer of the region concerned.

(9) In order to maintain the reservation system for non-government aided colleges, the teacher will be transferred to the vacant posts under the category to which he belongs for a single transfer from one non-government aided college to another college.

(10) For the employees covered under the New Pension Scheme, the teacher concerned shall submit his application to the concerned Regional Higher Education Officer/DDO who exercises jurisdiction over the college of current service. The originating Regional Higher Education Officer/DDO shall send the request for the transfer of funds along with the PRAN number, with his User ID and password through the Maker Checker System, to the concerned Regional Higher Education Officer/DDO under whose jurisdiction lies the requested college (the college to which the transfer is sought). After the acceptance of the request by the Regional Higher Education Officer/DDO exercising jurisdiction over the college to which the transfer is sought, the PRAN number shall be transferred along with the monetary sum.

By order,
M. P. AGRAWAL,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 383 राजपत्र–2024–(1045)–599 प्रतियां–(डी0टी0पी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सा0 शिक्षा–2024–(1046)–1000 प्रतियां–(डी0टी0पी0/ऑफसेट)।

383 RPH (Ucch Siksha)-2024 data 7 e